

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक: प.22(1)न्याय/19

जयपुर, दिनांक: 08.05.2020

:: आज्ञा ::


राजस्थान विधि सेवा के श्री मोहन लाल गुप्ता, उप विधि परामर्शी, मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को अपने पद के साथ-साथ उप विधि परामर्शी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.10.2019 के क्रम संख्या 3 पर श्री उत्तम सिंह, उप विधि परामर्शी, वित्त (विधि) प्रकोष्ठ, सचिवालय, जयपुर को अतिरिक्त कार्य के आदेश को निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

8.5.2020
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग।
4. श्री मोहन लाल गुप्ता, उप विधि परामर्शी, मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर अतिरिक्त कार्य के स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. श्री उत्तम सिंह, उप विधि परामर्शी, वित्त (विधि) प्रकोष्ठ, सचिवालय, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


8.5.2020
संयुक्त शासन सचिव